


SUB- PRE BID QUERIES OPERATOR FOR OPERATION AND MAINTENANCE OF BUSES FOR AMCTSL

बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है:-

1. सहमत ।
2. असहमत 25,000.00 प्रतिबस बैंक गारंटी आवश्यक है।
3. यदि आवश्यक हो तो अनुबन्ध की अवधि 15 दिन की जा सकती है अनुबन्ध की सीमा 15 दिन से अधिक नहीं होगी।
4. कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
5. यह पेज नम्बर 34/35 के बिन्दु सं.5.1 के अनुसार होगा। डिस्पले बोर्ड रास्ते में खराब हो जो उसके लिए बस ब्रेकडाउन नहीं मानी जायेगी। बस कार्यशाला से निकले तो डिस्पले बोर्ड चालू हों।
6. कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
7. यदि टैक्सों में अन्तर आता है तो जितना कम/अधिक वेरीएवल होगा वह बिल के अनुसार बिल में एडजस्ट कर लिया जायेगा।
8. जैसा कि सभी बसें बीमा से आच्छादित होगी जो आपरेटर द्वारा कराया जायेगा। उस स्थिति में आपरेटर द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी जो वास्तविक आधार पर होगी।
9. फ्यूल एफीसेन्सी नार्म्स में शब्द जो इस्तेमाल किया गया आपरेशन ईयर न कि टर्म ईयर अर्थात् प्रत्येक बस के रजिस्ट्रेशन होने पर संचालन प्रारम्भ होने को प्रथम वर्ष माना जायेगा अर्थात् यह बस की ऐज के अनुसार होगा। जो एवरेज दिया वह जीपीएस लगने के तीन माह तक चलता रहेगा उसके बाद मेकवाइज फ्लीट का 30 प्रतिशत बसों का फ्यूलएवरेज होगा वह टारगेट फिक्स होगा।
10. टर्म समाप्त होने से पूर्व ही टेण्डर प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी।
11. बदलाव नहीं किया जायेगा टेण्डर में दिये गये प्रस्ताव के अनुसार ही रहेगा।
12. यह टेण्डर का हिस्सा है और जिम्मेदारियों के एक दूसरे के दोषारोपण से बचने के लिए है।
13. बिन्दु सं.12 में स्पष्ट किया जा चुका है।
14. सहमत।
15. यह टेण्डर की शर्त है और टेण्डर का हिस्सा है इसको बदला नहीं जा सकता।
16. यह अर्हता निश्चित करने हेतु आवश्यक है। एएमसीटीएसएल से आपकी फाइनेन्ससिलविटी के बारे में पूछा जाता है तो जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराना होगा।
17. आपके द्वारा 300 बसें दिल्ली गवर्नमेन्ट के अन्तर्गत कान्ट्रैट करके संचालित बताई गई है अगर यह बसें दिल्ली गवर्नमेन्ट द्वारा अनुबंधित की गई है तो आपके इसके लिए आर्हर



To,

SHYAMA SHYAM SERVICE CENTER

A-222 sector-B, Dwarika, Delhi-110075

SUB- PRE BID QUERIES OPERATOR FOR OPERATION AND MAINTENANCE OF BUSES FOR AMCTSL

बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है:-

1. कुछ बसें दैनिक रूप से कार्यशाला में आयेगी तथा कुछ बसें आल्टरनेट आयेगी जो बसें कार्यशाला आयेगी वह धुलकर ही रूट पर जायेगी।
2. पैनल्टी शैड्यूल-2 छपने में गलत हो गया वास्तव में यह **ROLE, RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS OF THE OPERATOR & AMCTSL** पेज नं.34 पर 5 के 5.1 के अनुसार है। पूर्व प्री-बिड की प्रक्रिया थी तथा शर्तें थी वह अलग थी अब के टेण्डर में शर्तें अलग है।
3. मेन्टीनेन्स बेहतर हो तो फ्यूल एवरेज में कोई गिरावट नहीं आती है फ्यूल एफीसेन्सी नार्म्स में शब्द जो इस्तेमाल किया गया आपरेशन ईयर न कि टर्म ईयर अर्थात् प्रत्येक बस के रजिस्ट्रेशन होने पर संचालन प्रारम्भ होने को प्रथम वर्ष माना जायेगा अर्थात् यह बस की ऐज के अनुसार होगा।
4. टेण्डर के बिन्दु सं 5.1 में अर्न्तगत आता है।
5. हमारी धारणा अच्छी मेन्टीनेन्स के साथ ब्रेकडाउन रहित संचालन उपलब्ध कराने की है।
6. जीपीएस लगवाये जाने की जिम्मेदारी आपरेटर की होगी बिन्दु 5 के 5.1 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. मिसप्रिन्ट है जो शैड्यूल है उन्हें प्वाइन्टों में करके टेण्डर में दर्शाया गया है।

सचिव, ए०डी०ए०
आगरा

ए० डी० एम० (आग०/एम०)
अधुप

ए० डी० एम० (नगर)
आगरा

सेवा प्रबन्धक
उ० प्र० ए० एम० (आग०/एम०)
आगरा

क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ० प्र० ए० एम० (आग०/एम०)
आगरा

